कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.   /2016 पुनरीक्षण

श्रीमती रामकुंवर पत्नी श्री संतोष पटेल
निवासी ग्राम सिलावट तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदिका

विरूद्ध

भोला पुत्र श्री गंसुवा चमार
निवासी ग्राम सिलावट तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर जिला छतपुर द्वारा प्र.कं. 125/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, वादग्रगस्त भूमि खसरा नं. 104/2 रकवा 2.000 हे. ग्राम सिलावट में स्थित भूमि अनावेदक भोला को शासन से पट्टे के रूप में बंटन प्र.कं. 39/अ–19/1997–98 में आदेश दिनांक 30.6.98 को प्राप्त हुई थी। पट्टे पर प्राप्त होने के पश्चात अनावेदक भोला का राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गया है।

2– यह कि, वाद भूमि ख.नं. 104/2 रकवा 2.000 हे. भूमि अनावेदक भोला से आवेदिका श्रीमती रामकुंवर पटेल ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 6.09.08 से

XXXIX(a)BR(H)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2573–एक/2016 पुनरीक्षण जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –08–2016	1– आवेदक के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित । उनके तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरीक्षण नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्र.कं. 125/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से तर्क दिया गया कि नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर के समक्ष उसने एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिलावट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 104/2 रकवा 2.000 हे. भूमि अनावेदक भोला तनय गन्सुवा अहिरवार के नाम से दर्ज है उक्त भूमि अनावेदक भोला को शासन से पट्टे के रूप में बंटन प्र.कं. 39/अ–19/97–98 में पारित आदेश दिनांक 30.06.1998 के द्वारा प्राप्त हुई थी। आवेदिका ने उक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 06.09.2008 को क्रय की थी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका का ग्राम	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पंचायत द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव क्रमांक 10 आदेश दिनांक 29.09.2008 द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 10 वर्ष 2007–08 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में नामांतरण भी स्वीकृत किया जा चुका है परन्तु उक्त आदेश का अमल नहीं किया गया है जो अमल किया जावे। नायब तहसीलदार बसारी ने प्र.क्र. 125/अ–6–अ/15–16 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 08.07.2016 से आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। 4– नायब तहसीलदार बसारी द्वारा प्र.क्र. 125/अ–6–अ / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होने आदेश में यह अंकित कर आवेदिका का आवेदन अमान्य किया है – "विक्रेता को शासन से भूमि प्राप्त हुई थी। जो अभिलेख से प्रमाणित है विक्रेता खातेदार द्वारा उक्त भूमि बिना कलेक्टर महोदय की अनुज्ञा से विक्रय की है जिससे भू– राजस्व संहिता की धारा 165 (7)ख का उल्लंघन किया है। नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदिका का आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव क्र. 10 दिनांक 29.09.2008 द्वारा नामांतरण पंजी क्र. 10 वर्ष 2007–08 के द्वारा आवेदिका के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण स्वीकृत किया गया है जिसका अमल राजस्व अभिलेख में नहीं किया गया उक्त आदेश का अमल किये	

XXXIX(a)BR(H)-11

-4-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2573–एक/2016 पुनरीक्षण जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाने बावत आवेदन दिया था। नायब तहसीलदार ने संहिता की धारा 165 के अंतर्गत विचार कर आदेश दिनांक 08.07.2016 पारित किया है। विचार योग्य है कि संहिता की धारा 165 के अंतर्गत सुनवाई करने हेतु नायब तहसीलदार सक्षम नहीं है स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने अधिकारिता के बाहर जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामांतरण आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने हेतु निष्कर्ष दिया है। भू– राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) धारा – 110– पक्षकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा आवेदिका के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर पारित नामांतरण आदेश को राजस्व अभिलेख में अमल कराये जाने की मांग की पंजीकृत विक्रय पत्र को अमान्य करने की अधिकारिता नायब तहसीलदार को नहीं है। किन्तु नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर ने वास्तविकता के विपरीत जाकर निष्कर्ष निकाले हैं जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5– प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक भोला ने प्रश्नाधीन भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा आवेदिका को विक्रय की है विक्रय किये जाने से पूर्व. कलेक्टर की अनुमति ली जाना आवश्यक है या नहीं इस संबंध में राजस्व मण्डल द्वारा 1999 रा.नि. 363 2004 रा.नि. 183, 2005 रा.नि. 66 एवं 2011 रा.नि. 426 में राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक सिद्धांत समय–समय पर अवधारित किये गये हैं जिनमें यह माना गया है कि पट्टेदार को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाने के बाद ऐसी भूमि अंतरण के लिये कलेक्टर की अनुमति आवश्यक नहीं है। जहां तक प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के पूर्व सक्षंम अधिकारी की अनुमति लेने का प्रश्न है इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा अनेको न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं कि यदि पट्टाधारी पट्टा प्राप्त होने के पश्चात पट्टे की भूमि पर निरंतर खेती करते रहने एवं पट्टे की शर्तो का पालन कर लेने के आधार पर 10 वर्ष में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त कर चुका है। तब उस स्थिति में भूमि विक्रय के पूर्व सक्षम अधिकारी (कलेक्टर) की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में आवेदिका का विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.09.2008 को नामांतरण स्वीकृत किया जा चुका है उक्त आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल किये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन को नायब तहसीलदार द्वारा निरस्त करने का पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण इस	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2573–एक/2016 पुनरीक्षण जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पुनरीक्षण में स्थिर रखे जाने के लिये कोई न्यायोचित आधार परिलक्षित नहीं होता है। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2016 विधि सम्मत न होने एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बसारी को निर्देश दिया जाता है कि आवेदिका के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर ख.नं. 104/2 रकवा 2.000 है0 भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव क्र. 10 आदेश दिनांक 29.09.2008 द्वारा नामांतरण पंजी क्र. 10 वर्ष 2007–08 में स्वीकृत नामांतरण आदेश का अमल राजस्व अभिलेख में आवेदिका के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें। सदस्य	